Amarujala

एपीएस : छह चयनितों के दस्तावेज तलब किए गए

कंप्यूटर ज्ञान संबंधी अनिवार्य अर्हता प्रमाणपत्र की भी होगी जांच

अमर उजाला ब्यूरो

प्रयागराज। अपर निजी सचिव (एपीएस) परीक्षा-2010 में औपबंधिक रूप से चयनित छह अभ्यर्थियों के दस्तावेज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने तलब कर लिए हैं। इन दस्तावेजों में अभ्यर्थियों के कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रमाणपत्र भी शामिल हैं। पिछले माह एपीएस-2010 में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आने के बाद छह अन्य अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जा चुका है और उनकी जगह छह नए अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति भी की जा चुकी है।

एपीएस-2010 परीक्षा पर सीबीआई की भी नजर है। सीबीआई को शिकायत मिली है कि इस परीक्षा में नियमों को ताक पर रखकर आयोग और शासन के तमाम अफसरों के करीबी रिश्तेदारों का गलत तरीके से चयन कर लिया गया। हालांकि, आयोग ने पिछले माह जब छह अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया तो यह शिकायत सही साबित हो गई कि एपीएस-2010

फर्जीवाड़े में एपीएस-2010 के छह अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है निरस्त

के चयन में फर्जीवाड़ा हुआ था। आयोग ने एपीएस के 250 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी। इनमें से 249 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया गया और एक पद पर हाईकोर्ट का स्टे होने के कारण परिणाम रोक दिया गया। इनमें से आयोग ने 237 अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति शासन को भेजी थी। इसके बाद दूसरे चरण में छह अन्य अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति शासन को भेजी गई और छह का चयन औपबंधिक होने से उनकी संस्तुति नहीं भेजी गई।

आयोग ने अब औपबंधिक रूप से चयनित इन छह अभ्यर्थियों के सभी दस्तावेज 11 जनवरी से एक फरवरी के बीच जांच के लिए मांगे हैं। इनके अभिलेखों की जांच आयोग के विशेषज्ञ करेंगे। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक अभिलेखों की मूल प्रतियां भी मिलान के लिए साथ ले जाना होगा।